

प्रेषक,

संजय कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर एवं झांसी।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक २० अप्रैल, २०१८

विषय: सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-१५७/१-११-२०१८-६(जी)/२०१७ दिनांक २१.०३.२०१८ एवं शासनादेश संख्या-१६१/१-११-२०१८-६(जी)/२०१७, दिनांक ०६.०४.२०१८ के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा जनपद महोबा की तहसील महोबा, चरखारी एवं कुलपहाड़ तथा जनपद सोनभद्र की ०३ तहसील- घोरावल, दुद्धी एवं रार्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान, जनपद झांसी की ०२ तहसील- गरौठा एवं मऊरानीपुर, जनपद ललितपुर की तहसील तालबेहट के १२ गांव, जनपद झांसी की तहसील झांसी के २७ गांव एवं तहसील टहरौली के ४८ गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।

२. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-३२-७/२०१४- एनडीएम-प्रथम, दिनांक ०८.०४.२०१५ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-१ (ड) में आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिए मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है।


३. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के जीवन निर्वाह के लिए निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (१) भारत सरकार के आदेश संख्या-३२-७/२०१४- एनडीएम-प्रथम, दिनांक ०८.०४.२०१५ द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अन्त्योदय लाभार्थियों में से जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी है उन परिवारों को १५ किलोग्राम आटा, २५ किलोग्राम आलू, ०५ किलोग्राम चने की दाल, ०३ लीटर सरसों का तेल, ०१ किलोग्राम शुद्ध देशी धी, ०१ किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक, तथा बच्चों के लिए प्रति परिवार ०१ किलोग्राम मिल्क पाउडर वितरित कराया जाय। उक्त खाद्यान्न सामग्री १५ दिन के लिए पर्याप्त होगी।
- (२) प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाय जिससे उसकी गुणवत्ता तथा सुरक्षा प्रभावित न हो।
- (३) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति द्वारा राहत सामग्री क्य करके सूखा प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी

जायेगी। क्य करने में वर्तमान में प्रभावी वित्तीय नियमों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (4) राहत सामग्री के क्य किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
 - (5) प्रथमतः यह व्यवस्था दिनांक 01.05.2018 से 31.05.2018 तक (30 दिन) के लिए लागू की जा रही है।
 - (6) राहत सामग्री को गांव स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में, उनके द्वारा नामित जिला स्तरीय राजस्व/विकास एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में किया जायेगा।
 - (7) राहत सामग्री वितरण का कार्य कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कराया जाय।
 - (8) वितरित की गयी राहत सामग्री तथा प्रभावित परिवार (जिन्हे राहत सामग्री प्रदान की गयी है) का विवरण पता एवं मोबाइल नॉ सहित जनपद स्तर पर अवश्य रखा जायेगा।
4. सूखा प्रभावित परिवारों में से खाद्यान्न वितरण हेतु पात्र परिवारों के चयन में भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत सूखा मैनुअल-2016 में उल्लिखित मापदण्डों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. राहत वितरण की प्रगति प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय के ईमेल- rahat@nic.in पर अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
6. अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण के संबंध में दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(संजय कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- १०३१(१)/१-१०-२०१८-३३(३५)/२०१८, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2. प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं व्यापार कर विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
खाद्य एवं रसद, कृषि, पंचायतीराज, उद्यान, सिंचाई एवं जल संसाधन, पशुपालन, नगर विकास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, भू-गर्भ जल, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा, वन, नियोजन तथा वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 4. मण्डलायुक्त, चित्रकूट, मिर्जापुर एवं झांसी।
- 5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-५/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।